


फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष-2014

- प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष : 8-3-1978 लखन. नि.पु.
- 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम : अरुण कुमार झा
- 2. वर्तमान धारित पद : 9121/ए.य. (न.प.स.प.) - 03
- 3. कार्यालय का नाम : डी.ए.ई.ओ. (न.प.स.प.) जबर
- 4. वर्तमान वेतन : ₹ 26790/- G.P. + 4400/- G.P.
- 5. भविष्य निधि क्रमांक : 21699706
- 6. कर्मचारी संख्या : 83977940

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
जबर	कामायनी चौर 522 (न.प.स.प.) का जबर, जबर	20x60x120 का पट्टे निर्धारित का	रु. 10 लाख	-	पिता के द्वारा पट्टा लिखित रूप में 10/12/20-522 (न.प.स.प.) का जबर, जबर	निर्देश	

हस्ताक्षर : 
नाम : अरुण कुमार झा
पद : 9121/ए.य. (न.प.स.प.) - 03

- जहां लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.भासकीय सेवक(आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पचास चात् वह घोशणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर(अचल)संपत्ति का विवरण देवे।